श्री उपेन्द्र नारायण उरांव एवं श्री हलधर महतो सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को भूखल घांसी की कथित भूख से मौत के सिलसिले में जाँच हेतु कसमार प्रखण्ड के करमा ग्राम का भ्रमण प्रतिवेदन।

समाचार पत्र एवं अन्य विज्ञ स्त्रोत से प्राप्त सूचना कि बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखण्ड के ग्राम करमा में दिनांक–06.03.2020 को भूखल घांसी की मृत्यु भूख से हुई है। इस क्रम में आयोग द्वारा स्थल जाँच दिनांक–12.03.2020 को किया गया। पीड़ित परिवार मृतक भूखल घांसी की पत्नी बीमारी के कारण इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने के कारण घर में नहीं थी। शेष उनके बच्चे घर में मौजूद थे। पूछताछ के क्रम में मृत भूखल घांसी के बड़े पुत्र द्वारा बताया गया कि उसके पिता भूखल घांसी 5-6 माह पूर्व बंगलोर में मजदूरी करते थे। तबियत खराब होने पर घर लौट आए थे। भुखल घांसी का स्थानीय स्तर से भी ईलाज चल रहा था और समय–समय पर मजदूरी भी कर लेता था।

बताया गया कि घर की तंगी के कारण खाना ठीक से नहीं हो पाता था बड़ा पुत्र स्थानीय स्तर पर ईट भट्ठा में दैनिक मजदूरी करता है। छोटा पुत्र पेटरवार में किसी होटल में काम करता हैं इसी दोनों की कमाई से घर खर्च चलता है। बताया गया कि आर्थिक तंगी के कारण घर में अनाज की कमी थी। दिनांक–06.03.2020 को भूखल घांसी के मृत्यु उपरान्त बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु भूख जनित कारण से हुई है।

उपस्थित मुखिया द्वारा जानकारी दी गई कि भूखल घांसी की बीमारी अथवा उसके घर में अनाज की कमी की जानकारी उन्हें नहीं थी और न ही किसी अन्य स्त्रोत से उन्हें ज्ञात हुआ। भूखल घांसी के कथित भूख से मृत्योपरान्त अन्त्यपरीक्षण आवश्यक था जो कि नहीं कराया गया। मृत्यु के तत्काल बाद दाह संस्कार कर दिया गया। इसके पश्चात ही इसकी खबर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कसमार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मृतक का अन्त्यपरीक्षण नहीं कराया जा सका। अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन के बिना किसी भूख से हुई मृत्यु स्थापित करना तकनीकि रूप से संभव नहीं है।

जाँच दल में शामिल सिविल सर्जन बोकारो द्वारा पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को BMI किया गया, जो कि निर्धारित बिन्दु से कम पाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि यह परिवार "क्रोनिक हंगर" से ग्रसित है।

स्व० भुखल घांसी ग्राम–करमा, शंकरडीह, पंचायत–सिंहपुर, प्रखण्ड–कसमार, जिला–बोकारो के परिवार का बी०एम०आई० प्रतिवेदन :–

क्र०सं०	नाम	उम्र	ऊंचाई	वजन	बी०एम०आई०
1	गुजर घांसी	21	160.5 सी०एम०	38 कि०	15
2	मनीषा कुमारी	10	136 सी०एम०	22.5 कि०	12.2
3	नितेश घांसी	17	166 सी०एम०	41 कि०	14.9
4	रीता देवी	19	143.5 सी०एम०	35 कि०	17.1
5	राखी कुमारी	12	143 सी०एम०	30 कि०	14.7
6	प्रियंका कुमारी	22	157 सी०एम०	41 कि०	16.6
7	रेखा देवी	35	155 सी०एम०	38 कि०	15.8

पीड़ित परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं था। बताया गया कि 5-6 माह पहले अगस्त 2019 में भूखल घांसी द्वारा राशन कार्ड हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी किन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि भूखल घांसी की मृत्यु उपरान्त दिनांक–11.03.2020 को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है और पीड़ित परिवार को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा तत्काल चावल लगभग 80 कि0ग्रा0, दाल लगभग 10 कि0ग्रा0 उपलब्ध किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना के

तहत पीड़ित परिवार की मृतक की पत्नी रेखा देवी को 20,000/रु० उपलब्ध कराया गया है। यह भी बतलाया गया कि मृतक को सामाजिक सुरक्षा के तहत भी पेंशन नहीं मिलता था।

उक्त ग्राम में निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों द्वारा जाँच दल को बताया गया कि कई योग्य लाभान्वित राशन कार्ड से वंचित है और कुछ अयोग्य श्रेणी के लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है इतना ही नहीं यमुना स्वयं सहायता समिति जन वितरण प्रणाली विक्रेता की भी शिकायत की गई कि उसके द्वारा समय पर अनाज उपलब्ध नहीं किया जाता है और यदि कराया भी जाता है तो मात्रा से कम।

जाँच के क्रम में उपस्थित विधवा सरस्वती सिंह, (उम्र–65 वर्ष) पिता–स्व० लाल बिहारी सिंह, करमा भण्डारडीह कसमार ने बताया कि उन्होंने Online अगस्त में राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है। जिसकी पावती रसीद भी उपलब्ध थी परन्तु उन्हें भी राशन कार्ड नहीं मिला हैं उपस्थित मुखिया एवं पणन पदाधिकरी ने भी सत्यापित किया कि सरस्वती सिंह राशन कार्ड की अर्हता रखनी है। पणन पदाधिकारी श्री श्यामनाथ पाठक ने जिला से संपर्क कर सरस्वती सिंह को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया।

ज्ञात हो कि उपस्थित जनसमूह एवं मुखिया द्वारा बताया गया कि गाँव में लगभग 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जो कार्ड पाने की योग्यता रखते हैं एवं पिछले वर्ष अगस्त माह में ही आवेदन किया हुआ है को अबतक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया हैं साथ चल रहे अपर समाहर्त्ता–सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवेदन के 60 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड सेवा गारण्टी के तहत सभी योग्य लाभुको को आवेदन के उपरांत राशन कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करवाएं एवं कानून का अनुपालन न होने की स्थिति में कानून के तहत जिला स्तर पर कार्रवाई प्रारम्भ करें।

तत्पश्चात् आयोग की टीम ने करमा गाँव के मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया जो निम्न प्रकार है :–

मध्याह्न भोजन :– ग्राम करमा में अवस्थित विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन का भी निरीक्षण किया गया। 12.30 बजे ही उपस्थित बच्चों को भोजन करा दिया गया था। रसोई में बचे भोजन का अवलोकन से गुणवत्ता पूर्ण प्रतीत हुआ। स्कूल में बच्चों की उपस्थित 18 ही थी। जबकि प्रभारी प्राध्यापक द्वारा बतलाया गया कि होली के बाद आज बच्चों की उपस्थिति कम है। मध्याह्न भोजन के SMS रिर्पोट की Online जाँच करने पर पता चला कि भ्रमण के दिन (12.03.2020) को छोड़कर मार्च एवं पिछले माह फरवरी में औसत 45 बच्चों की उपस्थिति रही है।

आगंनबाड़ी केन्द्र :– आयोग द्वारा ग्राम करमा के आँगनबाड़ी केन्द्र का भी भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दिन ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया था। सेविका सुमित्रा देवी, सहिया तथा ANM से बातचीत एवं पंजीयों के अवलोकन के क्रम में निम्न बातें मिली :–

1. आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर को गर्म पका–पकाया भोजन अक्टूबर 2019 से ही बन्द है।
2. तीन साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को दिया जाने वाला घर ले जाने वाला तैयार राशन अक्टूबर 2019 से ही बन्द है।
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत अब तक का सिर्फ 9 लाभुकों का ही रिकार्ड मिला। इनमें से किन्हीं को भी PMMVY की पूरी राशि नहीं मिली। उदाहरण स्वरूप प्रियंका कुमारी जिनका पंजीकरण 22.02.2018 को ही हुआ है, अब तक सिर्फ 3,000/–रू० ही मिले है। जबकि इन्हें PMMVY की पूरी रकम अधिकतम मार्च 2019 तक मिल जानी चाहिए। ज्ञातव्य हो कि करमा गाँव में 2017 से मार्च 2020 तक लगभग 20 से 30 महिलाएँ लाभुक होंगी। अर्थात इस गाँव में सबका पंजीकरण भी नहीं हुआ है।
4. आँगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण एवं आँगनबाड़ी कर्मियों को सुझाव नगण्य हैं अक्टूबर माह से महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार एक बार भी भ्रमण नहीं किया गया है। अर्थात पर्यवेक्षण एवं समीक्षा इस स्तर पर बिल्कुल नहीं पाई गई।

ऊपर वर्णित बिन्दुओं (1)(2) एवं (3) के तथ्यों एवं केन्द्र से प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में NFSA की धारा 4(क), 4(ख) एवं 5(क) का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त तीनों स्थितियों में सभी प्रभावित लाभुकों करमा केन्द्र में पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाएँ, धात्री माताएँ, 3 साल तक के छोटे बच्चों को अक्टूबर माह से भ्रमण के दिन तक NFSA की धारा 8 एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना कर नियम 7 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान विहित समयावधि में कर देना था, जिसका भी अनुपालन नहीं हुआ है।

तत्पश्चात् दैनिक प्रभात खबर में प्रकाशित एक अन्य खबर, कसमार प्रखण्ड के धधकिया ग्राम में भगतू मुण्डा (80 वर्ष) वृद्ध दंपत्ति भूख से ग्रसित है और काफी लाचार है के आलोक में भी स्थल जाँच हेतु ग्राम धधकिया जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भगतू मुण्डा (80 वर्ष) दंपत्ति काफी वृद्ध है और निःसंतान है। इनकी देख–रेख, गाँव के पड़ोसी एवं संबंधी करते है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया आज सुबह ही इन्हें अनाज उपलबध करा दिया गया है जो घर में मौजूद था।

दंपत्ति के नाम पर PH राशन कार्ड है जिसमें सिर्फ अघनी देवी का नाम था और 5 कि०ग्रा० चावल ही मिलता था। इनके कार्ड को तत्काल अंन्त्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड जिला प्रशासन द्वारा जारी कर उसी दिन उपलब्ध कराया गया। इस दंपत्ति के पास सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन मिलता है। विगत चार माह से पेंशन इनके खाते में नहीं आया है।

प्रखण्ड अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि काफी मात्रा में योग्य लाभान्वित राशन कार्ड हेतु वंचित है और राशन कार्ड के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो की काफी लम्बे अरसे से लंबित चल रहा है।

इस क्रम में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अपर समाहर्त्ता तथा जिला प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से पृच्छा की गई। आयोग को यह जानकारी दी गई कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी कसमार के प्रभार में माह जनवरी से है जो कि कसमार प्रखण्ड के अतिरिक्त अन्य पांच प्रखण्डों के भी प्रभार में है। इस प्रकार जन वितरण प्रणाली के कार्यों की समीक्षा, जाँच तथा त्वरित निष्पादन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भूखल घांसी जैसे कथित भूख से मृत्यु की घटनाएं घटित होना बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आयोग का मानना है सरकार को तत्काल स्वतंत्र रूप से प्रखण्ड स्तर पर पूरे राज्य में इस निमित्त किया जाए।

प्रखण्ड स्तरीय आँगनबाड़ी केन्द्रों से ही जाने वाली सेवाओं के समीक्षा के क्रम में निम्न पाया गया कि :–

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जुलाई 2019 से ही जिला द्वारा आंबटन हेतु अवशेष राशि की माँग राज्य से की जा रही है जिस हेतु 16.07.2019, 08.08.2019, 10.10.2019, 04.12.2019 एवं 14.02.2020 को लगातार पत्राचार हुआ है, परन्तु आबंटन अभी मार्च माह में 7 मार्च 2020 को ही प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हूए निम्न निदेश दिए जाते है :–

1. मृतक भूखल घांसी को समय पर जनवितरण प्रणाली से राशन कार्ड उपलब्ध न हो पाने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. आँगनबाड़ी केन्द्र अन्तर्गत बिन्दु संख्या–1, 2 एवं 3 में प्रभावित सभी लाभुकों को राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के नियम 6 के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना कर एवं सभी लाभुकों को भुगतान कर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बोकारो आयोग को 31 मार्च 2020 तक सूचित करें।
3. जिला प्रशासन से अनुरोध होगा कि प्रखण्डवार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर आयोग को सूचित करें।
4. पूरे जिले में राशन कार्ड धारियों की समीक्षा कर आयोग्य श्रेणी के कार्ड धारियों को झारखण्ड लक्षीत जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के कंडिका 7 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
5. राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् सभी समावेशन एवं अपवर्जन मानको को पूरा करने वाले परिवारो को राशन कार्ड लाभान्वित के बीच अपवर्जन एवं समावेशन मानकों का राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

सुझाव :–

1. राज्य स्तर में अबतक हुए कथित मृत्यु के जाँचोपरान्त समान रूप से यह उभर कर आया कि मृतक को जनवितरण से राशन आपूर्ति नहीं हुआ था ओर सामाजिक सुरक्षा का पेंशन ब[illegible] पाया गया। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि पेंशन की राशि हर माह लाभुक के खाते में भेजना सुनिश्चित किया जाए और जनवितरण प्रणाली पर सतत् निगरानी रखने का निर्देश दिया जाए।
2. आयोग द्वारा पूर्व में दिये गए सुझाव के आलोक में उड़िसा एवं छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जन वितरण प्रणाली का वितरण व्यवस्था पंचायत के हाथों में सौंपी जाए।
3. आँगनबाड़ी केन्द्र के सूचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार मध्याह्न भोजन के तर्ज पर अग्रिम राशि का प्रावधान सुनिश्चित करें।
4. आयोग के संज्ञान में यह पाया गया कि मानव संसाधन की कमी के कारण योजनाओं का अनुश्रवण एवं संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा स्थायी समाधान हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।

ह0/–
(हलधर महतो)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ह0/–
(उपेन्द्र नारायण उरांव)
सदस्य
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत)–30/2019...../ राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत)–30/2019...../ राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत)–30/2019...../ राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत)–30/2019...../ राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत)–30/2019....377...../ राँची, दिनांक....26.06.2020

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, बोकारो/ अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो/सिविल सर्जन, बोकारो को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

F:\Anju Kumari\Letter box1.docx17